

मध्यप्रदेश विधान सभा



जून-जुलाई, 2014 सत्र
दैनिक कार्य सूची
मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 2014 (आषाढ 17, 1936)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित विवरण वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 पटल पर रखेंगे.

(4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2010-11 वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2011 के लिए पटल पर रखेंगी.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में अवैध रेत उत्खननकर्ताओं द्वारा अधिकारियों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले में मोटर पंपों की क्षमता से अधिक विद्युत बिल दिये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना एवं उसे माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाने तथा उसके मुद्रण, प्रकाशन एवं परिचालन की सूचना

प्रमुख सचिव, विधान सभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 53 (6) के अधीन तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को पटल पर रखेंगे एवं उसे अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाने तथा उसके मुद्रण, प्रकाशन एवं परिचालन की सूचना भी सभा को देंगे.

निर्धारित

**समय
2 घण्टे**

5. वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

**2 घण्टे
(वित्त विभाग
की मांग को
छोड़ कर)**

2 घण्टे

- | | | |
|-----|--|--|
| (1) | मांग संख्या – 3
मांग संख्या – 4
मांग संख्या – 5 | पुलिस
गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
जेल. |
| (2) | मांग संख्या – 6
मांग संख्या – 7
मांग संख्या – 23
मांग संख्या – 31
मांग संख्या – 40
मांग संख्या – 45
मांग संख्या – 57
मांग संख्या – 60
मांग संख्या – 61 | वित्त
वाणिज्यिक कर
जल संसाधन
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट
लघु सिंचाई निर्माण कार्य
जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय. |
| (3) | मांग संख्या – 17
मांग संख्या – 30
मांग संख्या – 34
मांग संख्या – 59
मांग संख्या – 62
मांग संख्या – 74 | सहकारिता
ग्रामीण विकास
सामाजिक न्याय
ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
पंचायत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता. |

**भोपाल :
दिनांक : 7 जुलाई, 2014**

**भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा**